राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1500/2025

जितेन्द्र कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, करौली।
4. पवन कुमार मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड द्वितीय, रेंज मासलपुर, उपवन संरक्षक, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज करौली, उपवन संरक्षक, करौली में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से क्षेत्रीय वन अधिकारी उडनदस्ता कार्यालय उप वन संरक्षक, एमएनपी, कोटा किया गया है और आदेश दिनांक 27.01.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को मात्र 10 माह की अल्पावधि में पुनः स्थानांतरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। उनका यह भी

तर्क है कि अपीलार्थी का दिनांक 21.01.2025 को पिछली तारीख डालते हुये आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा संशोधन के नाम पर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। जबकि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.01.2025 तक ही स्थानांतरण करने हेतु छूट प्रदान की गई थी। इस प्रकार जारी किया गया स्थानांतरण आलोच्य आदेश राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। आलोच्य स्थानांतरण आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश दिनांक 15.01.2025 को जारी किया गया है और उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि आलोच्य आदेश स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगने के पश्चात् जारी किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को 10 माह की अल्पावधि में स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी का स्थानांतरण राज्यहित में संशोधन/पदस्थापन किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अथवा राज्यहित में ली जानी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष